

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर

क्रमांक/स्था./2024/41


दिनांक: 29/01/24

::आदेश::

सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक), 2018 के आदेश 20 के नियम 52 (1) व आदेश 45 के नियम 1 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 47/पी.आई. दिनांक 10.11.1970 एवं सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक), 2018 के आदेश 20 के नियम 43 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर मुख्यालय पर स्थित फौजदारी एवं दीवानी न्यायालयों के लिए अधिवक्ता श्रीमती बुशरा खान, एनरोलमेंट नम्बर R/2974/2022 को दीवानी एवं फौजदारी कार्यो हेतु शपथ पत्रों के सत्यापन हेतु वर्ष 2024 के लिए आयुक्त नियुक्त किया जाता है।

उक्त शपथ आयुक्त का ध्यान नवीन सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक), 2018 के नियम 45 एवं सामान्य नियम दीवानी 1986 के नियम 74 एवं सामान्य नियम फौजदारी 1980 के नियम 257 की ओर आकर्षित कर लेख है कि वे इसकी पालना करें।

उपरोक्त आदेश में अंकित शपथ आयुक्त न्यायिकेतर (नॉन ज्यूडिशियल) कार्यवाही में शपथ पत्र एवं घोषणाएं सत्यापित कर सकेंगे।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 29-1-24

क्रमांक/2024/3418-3508

दिनांक: 29/01/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, अजमेर न्यायक्षेत्र
2. संभागीय आयुक्त, अजमेर
3. जिला कलक्टर, अजमेर
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, अजमेर/ब्यावर/किशनगढ़/केकड़ी/नसीराबाद/पुष्कर/बिजयनगर/सरवाड़/मसूदा/ग्राम न्यायालय, पीसांगन
5. वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, अजमेर
6. रीडर ग्रेड-I/स्टेनोग्राफर ग्रेड-I जिला न्यायालय, अजमेर
7. प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा जिला न्यायालय, अजमेर
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. श्रीमती बुशरा खान, अधिवक्ता जिला न्यायालय, परिसर, अजमेर


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 29-1-24